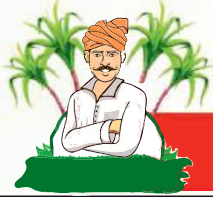




बिहार सरकार



गन्ना उद्योग विभाग

बिहार सरकार



गन्ना किसान भाईयों एवं बहनों के लिए आवश्यक सूचना

मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना अंतर्गत वसंतकालीन गन्ना रोपण हेतु प्रमाणित गन्ना बीज क्रय अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन

आवेदन 08 जनवरी 2026 से प्रारम्भ

केन केयर पोर्टल ccs.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अंतिम तिथि 23 जनवरी 2026 तक

- प्रमाणित गन्ना बीज क्रय अनुदान (210/240 रु0 प्रति क्वी0)
- योजना का लाभ अधिकतम 01 (एक) एकड़ के लिए देय है।
- आवेदन हेतु कृषि विभाग के 13 अंकों वाले डीबीटी आईडी सहित गन्ना किसान पंजीकरण अनिवार्य है।
- आपके डी.बी.टी. आई.डी. के साथ संबद्ध बैंक खाता में ही अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा।
- प्रमाणित गन्ना बीज क्रय अनुदान अंतर्गत बीज प्राप्ति हेतु गन्ना प्रभेद (16 प्रभेद) का चयन स्वयं कर सकते हैं।
- प्रथम चरण के सत्यापन के उपरांत बीज क्रय हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत होगा।
- स्वीकृति पत्र के आलोक में वसंतकालीन गन्ना बुआई हेतु बीज का उठाव किया जाएगा।
- इसके उपरांत विभाग द्वारा द्वितीय चरण में खेत का भौतिक सत्यापन किया जायेगा।
- सत्यापन के आलोक में लाभुक गन्ना किसानों को उनके डी.बी.टी. आई.डी. के साथ संबद्ध बैंक खाता में अनुमान्य अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा।



नोट : - विशेष जानकारी हेतु संबंधित सहायक निदेशक, ईस्व विकास / ईस्व पदाधिकारी कार्यालय या चीनी मिल में सम्पर्क किया जा सकता है।



0612- 2215788



09:30AM - 06:00PM (सभी कार्य दिवस)